# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

| क्र. सं. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग | अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 262/2023 | भंवरलाल खटीक | 1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।<br>2. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।<br>3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजसमंद।<br>4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, राजसमंद। | श्री सुशील सोलंकी, अधिक्ता अपीलार्थी एवं श्री हेमंत परमार, राजकीय अधिवक्ता |
| 2. | 264/2023 | पवन कुमार सैन | 1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।<br>2. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।<br>3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजसमंद।<br>4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, राजसमंद। | श्री सुशील सोलंकी, अधिक्ता अपीलार्थी एवं श्री हेमंत परमार, राजकीय अधिवक्ता |

**आदेश की दिनांक** : 23.04.2025

**समक्षः— चेतन राम देवडा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 262/2023 भंवरलाल खटीक की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त तालिका में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को प्रारंभ में अनुकंपा के आधार पर शिक्षक ग्रेड—III के पद पर आदेश दिनांक 19.05.1997 द्वारा नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत की गई थी। आदेश दिनांक 19.05.1997 के अनुसरण में पंचायत समिति खमनोर ने 30.06.1997 का एक आदेश पारित कर तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण लेने की शर्त रखी। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा 02.07.1997 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। बीएसटीसी सरकार द्वारा ही आयोजित की जाती है और अपीलार्थी की नियुक्ति के बाद वर्ष 2001 में बीएसटीसी की परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। जब बीएसटीसी आयोजित की गई थी तब अपीलार्थी को प्रशिक्षण से कार्यमुक्त कर दिया गया। तदनुसार अपीलार्थी ने वर्ष 2004 में उक्त पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। अंकतालिका की प्रतिलिपि अनुलग्नक—2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.07.2001 (अनुलग्नक—3) के द्वारा बीएसटीसी पाठ्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की गई। बीएसटीसी प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात अपीलार्थी ने

अध्ययन अवकाश के लिए दिनांक 21.10.2002 को पत्र के माध्यम से आवेदन किया (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलार्थी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है। उसके पश्चात भी संयुक्त निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे प्रकरण में निर्देश दिया गया कि अवकाश प्रकरणों का नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत परीक्षण कर स्पष्ट अभिशंषा कर स्वयं अवलोकन करें (अनुलग्नक–5)। उसके पश्चात लगभग 8 वर्ष की अवधि के बाद आदेश दिनांक 07.03.2011 (अनुलग्नक–6) द्वारा असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया एवं आदेश दिनांक 16.03.2011 (अनुलग्नक–7) के अनुसार अपीलार्थी को बीएसटीसी पूर्ण होने की तिथि से सेवाओं में स्थाई कर दिया गया। आदेश दिनांक 12.05.2014 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 21.04.2005 से उसकी सेवाओं की गणना करते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिया गया। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति नियम 1996 के तहत हुई थी। आदेश दिनांक 31.07.2001 (अनुलग्नक–9) के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से सेवाओं की गणना करते हुए एसीपी का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह आदेश दिनांक 19.07.2001 (अनुलग्नक–10) जारी किया गया। वित विभाग ने भी परिपत्र दिनांक 12.04.2002 (अनुलग्नक–11) जारी किया जिसमें प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से सेवा लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.06.2020 (अनुलग्नक–12) द्वारा प्रावधान है कि 1996 के नियमों के तहत नियुक्त व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित माना जाएगा तथा उन्हें बीएसटीसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की तिथि से वेतन वृद्धि का परिलाभ प्रदान किया जाएगा। चूंकि काल्पनिक निर्धारण प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से दिया जाएगा। 1996 के नियमों के तहत एक संशोधन भी किया गया जिसमें प्रावधान है कि वेतन वृद्धि का लाभ प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से काल्पनिक रूप से दिया जाएगा। अधिसूचना दिनांक 02.01.2007 की प्रति (अनुलग्नक–13) पर उपलब्ध है। आदेश दिनांक 10.03.2021 (अनुलग्नक–14) के अनुसार श्री मनोज कुमार हर्षवाल को भी इसी प्रकार का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी को भी दिनांक 21.04.2005 से वेतन वृद्धि प्रदान की गई है। जो (अनुलग्नक–15) पर उपलब्ध है। माननीय अधिकरण द्वारा मुकेश कुमार जैन के प्रकरण में पहले ही इस प्रकार के लाभ प्रदान किए जा चुके हैं। कार्यवृत बैठक दिनांक 20.07.2020 की प्रति (अनुलग्नक–16) पर उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से वेतन वृद्धि दिए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जो (अनुलग्नक–17) पर उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि, एसीपी प्रदान की जावे। एवं वेतन के बकाया भुगतान देय तिथि से भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को प्रारंभ में आदेश दिनांक 19.05.1997 द्वारा अनुकंपा आधार पर शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता की नियुक्ति राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 (इसके बाद 1996 के नियम के रूप में संदर्भित) के तहत की गई थी। अपीलार्थी को तीन वर्ष में प्रशैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था अर्थात सत्र 1997–98, 1998–99, एवं 1999–2000 तक पूर्ण करना था परन्तु निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा सत्र 2001 में दिनांक 23.06.2001 से डाईट गोर्वधनविलास उदयपुर में स्पेशल सीट आवंटित की तथा सत्र 2002 से प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। अपीलार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण के पश्चात 03 वर्ष के भीतर बीएसटीसी उर्तीण नही किये जाने से प्रकरण शिथिलन हेतु भिजवाये गये जिसे निदेशालय द्वारा राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त नही होने तक प्रकरण निदेशालय को नहीं भेजे जाने हेतु लिखा गया एवं प्रशिक्षण अवधि का वेतन भुगतान अध्ययन अवकाश स्वीकृत नही होने से नही किये जाने के निर्देश अंकित है। आदेश दिनांक 07.03.2011 से अपीलार्थी श्री भंवरलाल खटीक को बीएसटीसी प्रशिक्षण अवधि दिनांक 10.07.2001 से दिनांक 02.08.2002 तक कुल 389 दिवस असाधारण अवकाश स्वीकृत किया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा राजसमंद द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.03.2011 से अपीलार्थी को बीएसटीसी उत्तीर्ण करने की दिनांक 21.04.2005 से स्थायी किया गया है जो नियमानुसार है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.07.2001 से दिनांक 02.08.2002 तक 389 दिवस बीएसटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया। अतः उक्त अवधि का ही असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.08.2002 से विभाग में पुनः कार्यग्रहण किया तथा शेष विषयों को दिनांक 21.04.2005 तक उत्तीर्ण किया। अतः उक्त अवधि का असाधारण अवकाश देय नही है। अपीलार्थी अप्रशिक्षित होने से एवं 389 दिन का असाधारण स्वीकृत होने से इन्हें वार्षिक वेतन वृद्वि नहीं दी जा सकती। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने दोनों अपीलों पर विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण की नियुक्ति राजस्थान अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत मृतक आश्रित कोटे में अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल प्रथम के पद पर हुई थी। यह नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 30.06.1997 में स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी को तीन वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, परंतु वेतन वृद्धि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 02.06.2020 द्वारा मृतक आश्रित कर्मचारी की नियमित नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण किया गया कि अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जायेगी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जिस पर

अपीलार्थीगण ने उक्त तालिका में अंकित अनुसार एस.टी.सी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2003 यूसी, पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) एवं डी.वी. सिविल रिट याचिका सख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनाक 26.04.2001 के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए हमारे विनम्र मत में उनकी सेवाओं की गणना कार्यग्रहण करने की तिथि से करते हुए सेवा परिलाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रथम नियुक्ति तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि, ए.सी. पी. एवं वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने एवं बकाया वेतन 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का अनुतोष चाहा है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख व तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था और प्रशिक्षण अवधि हेतु लम्बी अवधि का असाधारण अवकाश भी स्वीकृत किया गया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.06.2020 के अनुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत नियुक्त कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से मानी जायेगी।

अतः हम यह पाते हैं कि अपीलार्थीगण को सेवा परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से ही देय होंगे, परन्तु परिपत्र के अनुसार अपीलार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करने तक कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने पर नियमानुसार काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि देय होगी और इस अवधि का कोई नकद संदाय नहीं किया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षण अवधि हेतु स्वीकृत किये गये असाधारण अवकाश की गणना सेवाकाल में की जानी है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियम अनुसार कार्यवाही की जायेगी और उसी अनुरूप वेतन वृद्धियां व ए.सी.पी. को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की जायेगी।

उक्त निर्देश के साथ उपर्युक्त वर्णित दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

मूल आदेश अपील संख्या 262/2023 भंवरलाल खटीक बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

*NDG/-*